

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा  
(जिला-भीलवाड़ा) राज०

पीठसीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार मीणा, आर०ए०एस०  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 115/2024  
जी०सी०एम०एस० संख्या : 2024/173

अगवाग

1-5 धीरू लाल, छोदू लाल, रामकुंवार, सीता देवी, सीमा देवी पिता लादू लाल जाट निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

6- सोहणी देवी पत्नी लादू लाल जाट निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

1- संतोक पत्नी कन्हैयालाल तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

2- छीतर पिता धन्ना जाट निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजु : 01/05/2024


उपस्थित :-

श्री अविनाश जीनगर : अधिवक्ता प्रार्थीगण  
विपक्षीगण एकपक्षीय

::- निर्णय -::

दिनांक : 11/08/2025

- वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम खामोर प०ह० खामोर भू०अ०निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.00 है०, 1122 रकबा 0.44 है०, 1126 रकबा 0.22 है०, 1127 रकबा 0.08 है० कुल किता 4 रकबा 1.74 है० भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काशत करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। दिनांक 05.04.2024 को प्रार्थीगण अपनी आराजी को हांकने गये तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस कारण प्रार्थीगण के वाद हेतु तारीख 05/04/2024 से पैदा होकर जारी है।
- प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
- प्रार्थीगण अधिकक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम खामोर प०ह० खामोर भू०अ०निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.00 है०, 1122 रकबा 0.44 है०, 1126 रकबा 0.22 है०, 1127 रकबा 0.08 है० कुल किता 4 रकबा 1.74 है० भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान में आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।
- हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम खामोर प०ह० खामोर भू०अ०निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.00 है०, 1122 रकबा 0.44 है०, 1126 रकबा 0.22 है०, 1127 रकबा 0.08 है० कुल किता 4 रकबा 1.74 है० भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079

  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.00 है0, 1122 रकबा 0.44 है0, 1126 रकबा 0.22 है0, 1127 रकबा 0.08 है0 कुल कित्ता 4 रकबा 1.74 है0 के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 रवीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम खामोर प0ह0 खामोर भू0अ0निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.00 है0, 1122 रकबा 0.44 है0, 1126 रकबा 0.22 है0, 1127 रकबा 0.08 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाने हुए प्रार्थीगण की आराजी का प्रार्थीगण के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए। वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। दौरान कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/08/2025 को सरे इजलास सुनाया गया



( सुनील कुमार शीमा )  
सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि : तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला भीलवाडा